

राजस्थान संचालन

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकूल, ब्लॉक-५, जवाहर लाल नेहरू गार्ड, जयपुर-302017

1787  
16-11-18

दूरभाष नं.0141- 2712376

Email- rajssa\_as@yahoo.co.in

क्रमांक- स्कूलशिप/ जय/ पै.शि./ दिशा-निर्देश/ CRC/ 2018-19/ ८३२३

दिनांक- ४।१०।१८

## दिशा-निर्देश

### संकुल संदर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant)

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2018-19 में 10424 पीईईओ एवं शहरी नोडल (सीआरसी) को संकुल संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन बाबत् सीआरसी ग्रान्ट का प्रावधान किया गया है। जिलेवार वार्षिक कार्य योजना में प्रावधान का विवरण संलग्न है। जिनकी इकाई लागत प्रत्येक संकुल संदर्भ केन्द्र कार्यालय हेतु निम्न प्रकार है:-

कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट	11,389 रुपये वार्षिक
मीटिंग व टी.ए	9,491 रुपये वार्षिक
टीएलएम ग्रान्ट	2,847 रुपये वार्षिक

इस प्रकार प्रति सीआरसी कुल राशि रुपये 23,727 वार्षिक की दर से राशि रुपये 2473.29 लाख का अनुमोदन किया गया है। राज्य सरकार के आदेश अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं शहरी क्षेत्र के प्रारम्भिक शिक्षा के समस्त शहरी नोडल कार्यालयों को संकुल संदर्भ केन्द्र (सीआरसी) का काम सौंपा गया है। उक्त ग्रान्ट्स अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक कार्यालयों को भेजते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को उपरोक्तानुसार राशि हस्तान्तरित कर ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के शहरी नोडल को प्रावधानानुसार राशि हस्तान्तरित करने हेतु निर्देशित करें। सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग के संबंध में संक्षिप्त दिशा-निर्देश निम्नानुसार है:-


- मीटिंग व टी.ए ग्रान्ट्स में से संकुल संदर्भ केन्द्र कार्यालय पर मीटिंग हेतु अल्प आहार एवं मीटिंग में उपस्थित होने पर नियमानुसार टी.ए., डी.ए. का भुगतान संबंधित कर्मचारी को किया जा सकेगा।
- कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट 11389 रुपये ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं शहरी क्षेत्र के ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों को आवंटित की जायेगी। इस राशि में से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष एवं राजकीय कार्यालयों द्वारा करवाये जा रहे ऑनलाइन कार्य जैसे- शाला दर्शन, शाला दर्पण, शाला सिद्धि, आरटीई पोर्टल इत्यादि की प्रविष्टि का व्यय शामिल है। क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर की जाकर व्ययों के भुगतान का इन्द्राज रोकड़ बही में किया जायेगा।
- पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी एवं शहरी नोडल अधिकारी अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक संबलन प्रदान करने, सूचना प्राप्त करने के लिए विजिट करने पर वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार एवं राजकीय नियमानुसार वास्तविक टीए का भुगतान प्राप्त करेंगे।
- प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं प्रत्येक शहरी नोडल कार्यालय को अपने अधीनरथ विद्यालयों के शिक्षकों को संबलन प्रदान करने तथा विज्ञान, गणित व सामाजिक अध्ययन विषय में शैक्षिक नवाचार अपनाने एवं टीएलएम निर्माण हेतु टीएलएम ग्रान्ट 2847 रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक उपर्युक्त राशि का व्यय किया जाकर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर परिषद् को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।

(शिवांगी स्वर्णकार)

राज्य परियोजना निदेशक

तलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राज्यस्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, रा.राज्यस्कूल.शि.प., जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.राज्यस्कूल.शि.प., जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
5. नियन्त्रक वित्त, रा.राज्यस्कूल.शि.प., जयपुर।
6. जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएमएसए, समस्त जिले।
7. जिला प्रभारी अधिकारी समस्त।
8. रक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक

## उपयोगिता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पीईईओ/शहरी नोडल .....  
 (पीईईओ/शहरी नोडल का नाम) को सत्र..... में प्राप्त राशि रु. .... का उपयोग  
 निम्नानुसार कर लिया है।

क्र. सं.	आवंटित राशि			खर्च की गई राशि			शेष राशि		
	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम ग्रान्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम ग्रान्ट	कन्टेन्जेन्सी ग्राट	मीटिंग टी.ए.	टीएलएम ग्रान्ट

हस्ताक्षर  
 पंचायत प्रांतीयिक शिक्षा अधिकारी/  
 प्रधानाध्यापक शहरी नोडल